सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2019 (राजस्व अपील)
RCMS NO : 2019/00006

अनवान

1. श्री भंवरलाल पिता श्री भेरूलाल पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

–अपीलार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री दुर्गाशंकर पिता श्री सवरामजी पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।
2. श्री लहरीलाल पिता श्री सवरामजी पालीवाल, निवासी सेमटाल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्रीमती नरगिस बानो, अधिवक्ता विपक्षीगण।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा प्रकरण संख्या 74/2018 आदेश दिनांक 14.09.2018

* निर्णय *

दिनांक – 06-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार गोगुन्दा में प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा अपीलान्ट का बिलानाम रास्ते में अतिक्रमण होना मानकर नाजायज कब्जे का प्रकरण दर्ज कर दिनांक 14.09.2018 को गिराने का आदेश दे दिया। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी नही थी तथा दिनांक 14.03.2019 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर आकर मकान को गिरा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रकरण का गहनतापूर्वक अध्ययन किये बिना ही गलत निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये आराजीयात शामलाती खाते के है, जिनमें अन्य कई सह–खातेदारान है तथा इनको पक्षकार बनाये बिना ही प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी गयी, जिससे पक्षकार सन्तुष्ट न होने के कारण दिनांक 20.07.2018 को भू–प्रबन्ध विभाग के अमीन द्वारा रिपोर्ट मंगवायी जाने का

आदेश दिया गया, उसका भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पालना नही की गयी तथा आगामी पेशी दिनांक 27.07.2018 को नया आदेश स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त स्थल का मौका देखने पर आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 14.03.2019 को बिना किसी सूचना के अपीलान्ट के निर्माण का गिरा दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2018 को निरस्त किया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर विलम्ब की अवधि को न्यायहित में कण्डोन किये जाने बाबत् अनुरोध किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स की ओर से नरगिस बानो, अधिवक्ता ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर धारा 5 प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश किया कि अधिनस्थ न्यायालय में नियमानुसार रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 14.09.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया एवं दिनांक 14.03.2019 को नियमानुसार रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों को है, इसलिये विलम्ब की समयावधि को कण्डोन नही किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा से प्रकरण संख्या 74/2018 से संबंधित मूल पत्रावली मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस प्रारम्भ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने धारा 5 मयाद अधिनियम में वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं न्यायहित में विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने बाबत अनुरोध किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब धारा 5 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्णतया जानकारी उभय पक्षकारान को होना न्यायालय को अवगत कराया एवं धारा 5 प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने बाबत अनुरोध किया। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन उपरान्त न्यायहित में मात्र मयाद के बिन्दु पर मूल अपील को निरस्त किया जाना उचित नही समझा गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कण्डोन किया गया।

इसके उपरान्त उभय पक्षकारान द्वारा मूल अपील पर बहस हेतु अनुरोध करने पर उभय पक्षकारान की मूल अपील पर बहस सुनी गयी। बहस प्रारम्भ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 का त्रुटिपूर्ण होना, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी विलम्ब से होना, अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान न बनाना, भू–प्रबन्ध विभाग से रिपोर्ट न मंगवाना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की मांग

की। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पूर्णतया विधिनुकुल बताया तथा अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने से मौके पर नियमानुसार रास्ते से अतिक्रमण हटाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जारी किया गया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 पूर्णतया विधिनुकुल होने से अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमनें उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, रेस्पोडेन्ट के जवाब, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की आराजीयात भूमि ग्राम सेमटाल मुख्य आबादी से कृषि आराजीयात पर जाने का एक मात्र रास्ता होने से आराजी संख्या 3035 रकबा 0.1150 हेक्टेयर किस्म रास्ता दर्ज हो रास्ते की रूप में उपयोग में आने पर अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर जानबुझकर अतिक्रमण कर रास्ता बाधित करने से रास्ता खुलवाये जाने एवं भविष्य में बन्द न करने बाबत् पाबन्द करने हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म रास्ता की आराजी संख्या 3035 पर अपीलान्ट श्री भंवरलाल पिता भेरूलाल पालीवाल का अवैध अतिक्रमण मानते हुये अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 14.09.2018 पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की आदेशिका दिनांक 20.07.2018 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से अतिक्रमण के सम्बन्ध में सीमा जानकारी बाबत् रिपोर्ट तलब करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक, गोगुन्दा द्वारा मौके की भौगोलिक स्थिति एवं मुस्तकिल बिन्दु न मिलने से नपती नही हो पाना एवं रास्ते की नपती भू–प्रबन्ध विभाग के अमीन से ही किये जाने बाबत् रिपोर्ट प्रेषित करने जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग को इस बाबत् न लिखकर मात्र मौके के फोटोग्राफ एवं स्थिति अनुसार आवागमन बाधित होने का हवाला देते हुये उक्त आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वर्णित आराजीयात में अन्य सह–खातेदार भी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण से पूर्व अन्य सह–खातेदारान् को भी नही सुना गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट श्री भंवरलाल पिता भेरूलाल पालीवाल द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 74/2018 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार गोगुन्दा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुये उभय पक्ष की साक्ष्य सबुत प्राप्त

कर, सुनकर भू–प्रबन्ध विभाग के अमीन से नपती करा मुस्तकिल बिन्दु कायम करा, सह–खातेदारान् को सुनकर विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर